[श्री दिगम्बर सिंह]

जनता कहती है कि भूमि मथुरा की गई, मथुरा जिले की जनता को हानि होगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यमुना का पानी गन्दा होगा । गहरे ट्यूबवैल कारखाने के वास्ते नीचे से पानी निकालेंगे । उससे मथुरा के किसानों के नलकूपो के लिए पानी नही रहेगा । ताजमहल को हानि पहुंचेगी । भरतपुर में देश का सब से महत्वपूर्ण पक्षी बिहार (घना) में पक्षी नही आएगे । अनेक बाहर के लोग मथुरा मे आकर बस जायेग । हानि होगी मथुरा और मथुरा के आसपास की जनता को और लाभ उठायेंगे बाहर के लोग । पैट्रोलियम मत्रालय के माननीय मत्री जी से मेरा निवेदन है कि अविलम्ब उचित कार्रवा ई करे और जनता मे विश्वास पैदा करे ताकि अधिक असन्तोष न फैले । कृष्ण भगवान की पवित्र भूमि में जो लोग देश और विदेश से आते है, उनका स्वागत होता है । किन्तु इस असन्तोष के कारण ऐसा न हो कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने कस के खिलाफ आन्दोलन किया था, ब्रजवासियो को भी उसी प्रकार इस असन्तोष के कारण वैसा ही आन्दोलन करना पडे ।

(ii) NEED FOR IMMEDIATE SUPPLY OF FOODGRAINS TO UTTAR PRADESH FOR "FOOD FOR WORK" PROGRAMME

श्री जंगल बशर (गाजीपुर) मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के एक प्रश्न को उठाना चाहता हू और आशा करता हू कि कृषि मत्री जी इस सम्बन्ध मे एक वकतव्य देगे ।

इस समय पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्न न पहुचाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और झासी मडलो मे काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चलाए ज रहे सभी कार्य ठप्प हो गए है । वैसे तो उत्तर प्रदेश मे खाद्यान्न के मामले मे माग और आपूर्ति मे बराबर अन्तर रहा है परन्तु इस समय यदि अन्तर बाकी रखा गया तो आने वाले महीनो के लिए उत्तर प्रदेश मे भयकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । इस जुलाई के महीने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 97 खाद्यान्न स्पेशलो की माग की है । इसके विपरीत भारत सरकार ने 64 स्पेशल भेजना मजूर किया है और जिस रफ्तार से स्पेशल भेजे जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इतना भी पहुच पाना मुश्किल है ।

ऐसी स्थिति मे मैं केन्द्रीय कृषि मत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश और विशेष कर वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और झासी मंडलो मे उत्तर प्रदेश सरकार की माग के अनुसार शीघ्रतिशीघ्र खाद्यान्न पहुचाने की व्यवस्था करे । यदि जरा भी विलम्ब किया गया तो भयकर अकाल से पीडित यहा के लोग भुखमरी के कगार पर खडे हो जायेगे ?

(iii) NEED FOR LEGISLATION TO TAKE OVER AUROVILLE AS A NATIONAL MEMORIAL OF SHRI AUROBINDO.

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Under Rule 377, I wish to raise the following matter of public importance:

Several years ago a remarkable project entitled Auroville was started by the Mother of Sri Aurobindo Ashrama of Pondicherry. It was envisaged as a new type of spiritual community where the entire life and activity would revolve around the integral spiritual quest. It included a number of very interesting experimental activities in the field of agriculture, education and community living. As long as the Mother was alive the project continued to grow, but after her death the whole concept has unfortunately become distorted. Endless conflicts have been raging between the Sri Aurobindo Society, which claims exclusive ownership of this vast project, and the 'Aurovillians' who are living there. Unsavoury incidents of violence have also occurred, and there have been grave charges levelled by the two parties against each other. Recently there was again a clash over the Matri Mandir which is supposed to be the spiritual centre of Auroville.

A vast project like Auroville involves extensive acquisition of land in the State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry; numerous visa and passport problems connected with the many foreigners who are living in Auroville, and extensive developmental and administrative dimensions. Clearly all these are far beyond the capacity of the Sri Aurobindo Society to manage, particularly as the President of this Society has himself been accused of numerous misdemeanours.

It is a tragedy that a magnificient concept like Auroville, which has received recognition from UNESCO